न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 65/2022

अपीलांट्स – ***बनाम*** **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स –

1. केहराराम पुत्र रूपाराम
2. फूसाराम पुत्र रूपाराम
3. भगवानाराम पुत्र रूपाराम
4. राणाराम पुत्र जेठाराम
5. सवाईराम पुत्र जेठाराम
6. जसाराम पुत्र जेठाराम
7. श्रीमति चनणी पत्नि जेठाराम
8. श्रीमति धापु पत्नि रूपाराम
9. राणाराम पुत्र गोरधनराम
10. सवाईराम पुत्र गोरधनराम
11. रूपो देवी पत्नि गोरधनराम

जातियान जाट निवासीयन सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. भूराराम पुत्र पेमाराम
3. ताजाराम पुत्र पेमाराम जातियान जाट निवासीयान सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 502 दिनांक 17.05.2018 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री भवानीसिंह, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2व3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 31.07.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 502 दिनांक 17.05.20[illegible] विरूद्ध पेश की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:13:29 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त [illegible] खेत खसरा संख्या 629, 868, 869 कुल रकबा 296–04 बीघा [illegible] खातेदारान राणाराम [illegible] जसराज पि0 जेठाराम, चनणी पत्नि जेठाराम, केहराराम फूसाराम [illegible] भगवानाराम पि0 रूपाराम, धापू देवी पत्नि रूपाराम, भूरा ताजा पि0 पेमा जाति

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जाट निवासी सांजटा सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन प्रार्थना–पत्र पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 17.05.2018 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी सांजटा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 502 दिनांक 17.05.2018 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक मौजा सांजटा में खेत खसरा संख्या 629, 868, 869 कुल रकबा 296–04 बीघा में आई हुई है। उक्त भूमि में अपीलांटगण का संयुक्त 1/3 हिस्सा व उतरदाता संख्या 2व3 का संयुक्त 2/3 हिस्सा खातेदारी में बनता है तथा इन्ही हिस्सों माफिक काबिज है। पक्षकारान ने आपसी सहमति से माफिक बाहमी तौर से किये गये बंटवाड़ा माफिक कृषि जोतो का विभाजन करने हेतु उतरदाता संख्या 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें मुख्य बात यह तय हुई थी कि किसी भी पक्षकार का घर व पानी का टांका प्रभावित नहीं होगे तथा कोई भी पक्षकार आवागमन के रास्ते में एक–दूसरे को किसी प्रकार की रूकावट नहीं करेगे तब उतरदाता संख्या 2 व 3 का विश्वास कर अपीलांटगण ने कुछ खाली पेपरो पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशानात किये लेकिन उक्त पेपरो के साथ संलग्न नक्शा में उस समय कोई रंग भरे हुए नहीं थे तब उतरदातागण ने बताया कि बाद में पटवारी मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार घर, टांको को बिना प्रभावित करते हुए तथा आवागमन के रास्तो को ध्यान में रखते हुए ही सही रंग भरेगे, लेकिन उतरदाता संख्या 2 व 3 ने हलका पटवारी से मिलावट कर नक्शा मे अपनी मनमर्जी से रंग भरवाकर कागजात उतरदाता संख्या 1 के समक्ष पेश किये तथा दिनांक 17.05.2018 को अपीलांटगण को धोखे मे रखकर अपीलाधीन आरजी [illegible] पर कब्जा काश्त से हटकर उतरदाता संख्या 2 व 3 [illegible] करवा दिया है। पक्षकारान के आपस मे बाहमी तौर से मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा किया हुआ है। जिसमें पक्षकारान का कब्जा [illegible] परिशिष्ट 'अ' में क्रमशः बरंग लाल व हरा से बताये अनुसार है। उसके बावजूद भी मौका की स्थिति से भिन्न प्रकार से नक्शा ट्रेस में बताये अनुसार बंटवाड़ा किया गया है। मौका पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:13:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण बंटवाड़ा में बताये रंग अनुसार काबिज न होकर उसके विपरीत काबिज है। जिस कारण उक्त आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि दिनांक 17.05.2018 को मौका की स्थिति से भिन्न तरीके से निर्णय पारित करने का पूर्व में कोई ज्ञान नहीं था कुछ अर्सा पूर्व उतरदातागण संख्या 2 व 3 द्वारा अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तथा अपीलांटगण की रहवासी ढाणीयां व पानी के टांके अपने हिस्से में आने का बताया तथा अपीलांटगण के आवागमन में बाधाएं डाल कर आवागमन के रास्तों को अवरूद्व किया तब पुछने पर उक्त गलत बंटवाड़ा बाबत बताया तब उक्त गलत निर्णय का ज्ञान हुआ व इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट्स की और से उपस्थित अधिवक्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई ठोस प्रतिरक्षण स्वरूप तथ्य एवं अभिकथन प्रकट नहीं किये गये, लिहाजा रेस्पोडेंट्स की ओर से मौन सहमति होना प्रतीत होता हैं।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा सांजटा में खेत खसरा संख्या 629, 868, 869 कुल रकबा 296–04 बीघा भूमि खातेदारान राणाराम सवाईराम जसराज पि0 जेठाराम, चनणी पत्नि जेठाराम, केहराराम फूसाराम गोरधनराम भगवानाराम पि0 रूपाराम, धापू देवी पत्नि रूपाराम, भूरा ताजा पि0 पेमा जाति जाट निवासी सांजटा सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन प्रार्थना–पत्र पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 17.05.2018 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी सांजटा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 502 दिनांक 17.05.2018 पारित किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उतरदाता संख्या 2 व 3 का विश्वास कर अपीलांटगण ने कुछ खाली पेपरो पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानात किये लेकिन लेकिन उतरदाता संख्या 2 व 3 ने हलका पटवारी से मिलावट कर नक्शा मे अपनी मनमर्जी से रंग भरवाकर कागजात उतरदाता संख्या 1 के समक्ष पेश किये तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:13:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिनांक 17.05.2018 को अपीलांटगण को धोखे मे रखकर अपीलाधीन आरजी का मौका पर कब्जा काश्त से हटकर उतरदाता संख्या 2 व 3 ने अपनी सुविधानुसार बंटवाड़ा करवा दिया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को तत्समय नहीं हुई तथा कुछ अरसा पूर्व जब उतरदातागण ने अपीलांट के कब्जा–काश्त में दखलअन्दाजी करते हुए अपीलांट को उसके कब्जा–काश्त से हटाने एवं बेदखल करने का प्रयास करते हुए अपीलाधीन बंटवाडा होने की बात कही तब अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव की प्रति प्राप्त की गई। अपीलांट द्वारा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर ही उन्हें सर्वप्रथम गलत विभाजन की जानकारी प्राप्त हुई। रेस्पोडेंट्स की और से उपस्थित अधिवक्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई ठोस प्रतिरक्षण स्वरूप तथ्य एवं अभिकथन प्रकट नहीं किये गये, लिहाजा रेस्पोडेंट्स की ओर से मौन सहमति होना प्रतीत होता हैं। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट के कब्जे की भूमि मौके पर रेस्पोडेंट्स के हिस्से में है लिहाजा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 502 दिनांक 17.05.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:13:29 IST
Reason: SelfAttested